13.09.2022
x Party.
24.11.22

2022/260

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेशी स्टेज

13/6/23
26/6/23
18/7/23
22/8/23
12/9/23
17/10/23
25/10/23
12/12/23
02/1/24

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
धारा 183	48/2022	02.08.2022	अर्पित 2/1/24	

अनवान

श्री धनुलाल पुत्र मोडूलाल धाकड़ श्री छीतर पुत्र रामा धाकड़

V/S

निवासी धुंधोदा निवासी धुंधोदा ओ (D)

अभिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अभिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाव

श्री रामफूल धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

प्रभु लाल पुत्र मोड़ूलाल धाकड़ बनाम छीतर पुत्र रामा धाकड़

किस्म मुकदमा 183 नम्बर 48 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2022	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/09/2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/9/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/9/22 को वास्ते त/ जवाब पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
27.9.22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से लेकर 5 के बाद सम्मन तामिले प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी ~~संख्या~~ संख्या 1 से लगायत 5 तक असालतन वकालतन अनुपस्थित। 3 बार आवाज दिलायी गई। कोई उपस्थित नही रहा। अत: प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एक पक्षीय हेतु दि. 22.11.22 को पेश हो।	
22/11/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक [illegible]/23 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

10/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14.2.23 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/2/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 14/3/23 को वास्ते सा. वा। पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/3/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रति. उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 18/4/23 को वास्ते सा. वा। पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

18/4/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16.5.23 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

16/5/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 6/6/23 को वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

6/6/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी प्रभुलाल के ब्यान लिए गए। जिन्हें शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते A बहस दिनांक 13/6/23 को पेश हो।

13/6/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/6/23 को वास्ते निर्णयार्थ पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

FORM ...

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत उपखण्ड अधि० मुकाम बिजौलिया

प्रभुलाल बनाम धीरपुरा राज्य

183 RTA नं. 48/22 वर्ष

किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस दिनांक 18/7/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस दिनांक [illegible]22/8/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12/9/23 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
12/9/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17/10/23 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
17/10/2023	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 25/10/23 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
25/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस दिनांक 12/12/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/12/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रा... दिनांक 2/1/24 को वास्ते निर्णय / बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी
02/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं निर्णय पृथक से विस्तृत रूप में लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 48 / 2022 दायर तारीख 02.08.2022

अनवान्

प्रभुलाल पुत्र मोडूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....वादी

बनाम्

1. छीतर पुत्र रामा जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. कैलाश पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. सत्यनारायण पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. पप्पु पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता वादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 02/01/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते की भूमि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 523/2 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी को भी वादग्रस्त आराजी संख्या की भूमि को रहन विक्रय नही किया गया है न ही किसी को अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर कब्जा दिया गया है। वादी को अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि पर कब्जा बनाये रख कृषि भूमि का कृषि लाभ अर्जित करने ओर उसको उन्नत आबाद करने का अधिकार हैं। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी अधिकार के वादी की खातेदारी भूमि पर दिनांक 15.03.2022 को अवैध अतिचार कर वादी को बेदखल कर दिया एवं वादी की खातेदारी में दर्ज भूमि होने की उन्हे जानकारी होते हुए अनुचित कृषि लाभ अर्जित कर वादी को अनुचित हानि पहुचा रहे हैं। प्रतिवादीगण ने रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर अपना कब्जा कर लिया हैं। पत्थरगढी के आवेदन के करीब एक वर्ष पश्चात दिनांक 29.04.2022 को प्रतिवादीगण की मौजूदगी में रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 का कब्जा पाया गया हैं। वादी ने पत्थरगढी के तत्काल पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कब्जा हटाने के लिए कहा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपना अवैध कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रखता हैं। वादी स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 523/2 रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा

रकबा 0.0971 हैक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बेदखल किया जाकर वादी को उसकी खातेदारी का कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सादर फरमायी जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादीगण वाबजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगंण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की गयी।

वकील वादी ने ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 पेश की जो प्रदर्श– 2 हैं। एवं पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 29.04.2022 पेश किया जो प्रदर्श– 1 हैं।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 प्रभुलाल पुत्र मोड़ूलाल धाकड़ निवासी थड़ौदा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं।

पीडब्ल्यू–1 प्रभुलाल पुत्र मोड़ूलाल धाकड़ निवासी थड़ौदा ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे नाम पर मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 523/2 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकॉर्ड होकर चली आ रही हैं। उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 15.03.2021 को जबरन कब्जा कर लिया और वादी को बेदखल कर दिया। वादी ने उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवायी जिसमें 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण का जबरन कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को आराजी नम्बर 523/2 रकबा 0.0971 हैक्टेयर से बेदखल किया जावें।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वांदी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही करने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं। जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की फोटो प्रति व भूमि वादी के स्वामित्व की होने के सम्बन्ध में जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। वादपत्र डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करना फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि प्रभुलाल पुत्र मोडूलाल धाकड़ निवासी थड़ौदा के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। वादी ने अपने वादपत्र में इसी आराजी नम्बर 523/2 रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कब्जा होना अंकित किया हैं। प्रतिवादीगण का वादी की भूमि पर कब्जा हैं। प्रतिवादीगण को यदि किसी प्रकार की आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करता। प्रकरण एक पक्षीय हैं। वादी के वादपत्र एवं प्रस्तुत गवाह के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

—: आदेश :—

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 523/2 रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण छीतर पुत्र रामा धाकड़ निवासी थड़ौदा, कैलाश पुत्र प्यारचन्द धाकड़ निवासी थड़ौदा, सत्यनारायण पुत्र बरदीचन्द धाकड़ निवासी थड़ौदा, पप्पु पुत्र हीरालाल धाकड़ निवासी थड़ौदा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी प्रभुलाल पुत्र मोड़ूलाल धाकड़ निवासी थड़ौदा को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब कर जावें।

आदेश आज दिनांक 02/01/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 48 / 2022 **दायर तारीख 02.08.2022**

अनवान्

प्रभुलाल पुत्र मोडूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.............वादी

बनाम्

1. छीतर पुत्र रामा जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. कैलाश पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. सत्यनारायण पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. पप्पु पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 02/01/2024
डिक्री दिनांक 02/01/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री रामफूल धाकड़ अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय उपस्थित के समक्ष हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 523/2 रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण छीतर पुत्र रामा धाकड़ निवासी थड़ौदा, कैलाश पुत्र प्यारचन्द धाकड़ निवासी थड़ौदा, सत्यनारायण पुत्र बरदीचन्द धाकड़ निवासी थड़ौदा, पप्पु पुत्र हीरालाल धाकड़ निवासी थड़ौदा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी प्रभुलाल पुत्र मोडूलाल धाकड़ निवासी थड़ौदा को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हों।

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 01 वर्ष 2024 को जारी की गयी।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां